



जनपद बिजनौर

प्रेस नोट - थाना अफजलगढ

दिनांक - 16.09.2023

थाना अफजलगढ पुलिस ने दो शातिर वाहन चोरों को चोरी की चार व घटना में प्रयुक्त एक मोटरसाइकिल सहित किया गिरफ्तार, एक साथी बाल अपचारी को पुलिस अभिरक्षा में लिया गया।

कार्यवाही -

पुलिस अधीक्षक, जनपद बिजनौर द्वारा जनपद में वाहन चोरी की घटनाओं पर पूर्णतः अंकुश लगाने व वाहन चोरी में संलिप्त अभियुक्तों की गिरफ्तारी तथा चोरी गये वाहनों की बरामदगी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना अफजलगढ पुलिस द्वारा मुखबिर की सूचना पर जटपुरा बॉर्डर पर चेकिंग के दौरान अभियुक्तगण 1.निखिल चौहान पुत्र कमल सिंह 2.अंकित पुत्र कृपाल सिंह



निवासीगण ग्राम रामपुर घोघर थाना ठाकुरद्वारा जनपद मुरादाबाद को गिरफ्तार किया गया व साथी बाल अपचारी को पुलिस अभिरक्षा मे लिया गया। अभियुक्तों के कब्जे से चोरी की 04 मोटर साइकिल व चोरी की घटनाओं में प्रयुक्त की जाने वाली मोटरसाइकिल बरामद की गयी। गिरफ्तारी/बरामदगी के संबंध में थाना अफजलगढ पर मु0अ0सं0 351/23 धारा 411/414 भादवि बनाम निखिल आदि उपरोक्त पंजीकृत किया गया।

पूछताछ का विवरण -

अभियुक्तों ने पूछताछ पर बताया कि यह चारों मोटरसाइकिलें उन्होने जनपद मुरादाबाद के डिलारी क्षेत्र व जनपद बिजनौर के कस्बा स्योहारा व अन्य विभिन्न थाना क्षेत्रों से चोरी की है। बरामद मोटरसाइकिलो के बारे मे जानकारी करने पर 1-स्पलैन्डर प्रो बिना नं0 प्लेट का रजि0 नं0 UP21AZ3354 पाया गया, इस संबंध में थाना अफजलगढ पर मु0अ0सं0 349/23 धारा 379 पंजीकृत है। 2-हीरो स्पलैन्डर प्लस रजि0 नं0 UP21CF1229 के सम्बन्ध में थाना डिलारी जनपद मुरादाबाद पर मु0अ0सं0 256/2023 धारा 379 भादवि पंजीकृत है। 3-हीरो स्पलेन्डर रंग काला बिना नम्बर प्लेट को चेक करने पर रजि0नं0 UP21AU8780 पाया गया। 4-हीरो स्पलेन्डर UA04 5002 इंजन न0 01L20C12940 अंकित है। 5.हीरो स्पलेन्डर प्लस रजि0

नं0 UP21CU5309 को मोटरसाइकिल चोरी की घटनाये कारित करने मे प्रयुक्त करना बताया । अभियुक्तों के अन्य आपराधिक इतिहास के बारे मे जानकारी की जा रही है ।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पता –

- 1.निखिल चौहान पुत्र कमल सिंह निवासी ग्राम रामपुर घोघर थाना ठाकुरद्वारा जनपद मुरादाबाद
- 2.अंकित पुत्र कृपाल सिंह निवासी ग्राम रामपुर घोघर थाना ठाकुरद्वारा जनपद मुरादाबाद
- 3.बाल अपचारी (उम्र करीब 17 वर्ष)

बरामदगी का विवरण –

- 1.स्पलैण्डर प्रो रजि0 नं0 UP21AZ3354
- 2.हीरो स्पलैण्डर प्लस रजि0नं0 UP21CU5309
- 3.हीरो स्पलैण्डर रजि0नं0 UA04 5002
- 4.हीरो स्पलैण्डर प्लस रजि0नं0 UP21CF1229
- 5.हीरो स्पलैण्डर रजि0नं0 UP21AU8780

अभियुक्तगण का आपराधिक इतिहास —

अभियुक्त निखिल उपरोक्त —

- 1.मु0अ0सं0 349/2023 धारा 380/411/414 भादवि थाना अफजलगढ जनपद बिजनौर
- 2.मु0अ0सं0 256/2023 धारा 379 भादवि थाना डिलारी जनपद मुरादाबाद
- 3.मु0अ0सं0 351/23 धारा 411/414 भादवि थाना अफजलगढ जनपद बिजनौर

अभियुक्त अंकित उपरोक्त —

- 1.मु0अ0सं0 349/2023 धारा 380/411/414 भादवि थाना अफजलगढ जनपद बिजनौर
- 2.मु0अ0सं0 256/2023 धारा 379 भादवि थाना डिलारी जनपद मुरादाबाद
- 3.मु0अ0सं0 351/23 धारा 411/414 भादवि थाना अफजलगढ जनपद बिजनौर

बाल अपचारी उपरोक्त —

- 1.मु0अ0सं0 349/2023 धारा 380/411/414 भादवि थाना अफजलगढ जनपद बिजनौर
- 2.मु0अ0सं0 256/2023 धारा 379 भादवि थाना डिलारी जनपद मुरादाबाद
- 3.मु0अ0सं0 351/23 धारा 411/414 भादवि थाना अफजलगढ जनपद बिजनौर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –

- 1.प्रभारी निरीक्षक श्री पंकज तोमर थाना अफजलगढ जनपद बिजनौर
- 2.उपनिरीक्षक श्री गोपाल सिंह थाना अफजलगढ जनपद बिजनौर
- 3.उपनिरीक्षक श्री विनोद कुमार थाना अफजलगढ जनपद बिजनौर
- 4.हे0कां0 60 राकेश कुमार थाना अफजलगढ जनपद बिजनौर
- 5.हे0कां0 318 चन्द्रसैन थाना अफजलगढ जनपद बिजनौर
- 6.कां0 118 प्रमोद कुमार थाना अफजलगढ जनपद बिजनौर

7.कां0 2335 विजय कुमार थाना अफजलगढ जनपद बिजनौर

थाना चांदपुर पुलिस ने मु0अ0सं0 660/2023 धारा 308/304/323/504/506/34 भादवि में वांछित अभियुक्त को किया गिरफ्तार ।

संक्षिप्त विवरण –

दिनांक 11.09.2023 को वादी कपिल पुत्र परवीन सिंह निवासी ग्राम हरिनगर थाना हीमपुर दीपा जनपद बिजनौर ने थाना चांदपुर पर तहरीर दी कि दिनांक 10.09.2023 को अभियुक्तगण 1.सुरेशचन्द्र पुत्र मेहरसिंह 2.कमल पुत्र मेहर सिंह 3.मेहर सिंह पुत्र नामालूम 4.विमला पत्नी मेहर सिंह निवासीगण ग्राम बाडीवाला थाना चांदपुर जनपद बिजनौर ने वादी के बहनोई महावीर सिंह पुत्र चेताराम सिंह निवासी ग्राम नसीरपुर शुमाली थाना बछराऊ जनपद अमरोहा के साथ गाली गलौच व मारपीट की व अभि0 सुरेशचन्द्र ने महावीर के सिर पर सरिये से वार किया जिससे वह बेहोश हो गए । तहरीर के आधार पर थाना चांदपुर पर मु0अ0सं0 660/2023 धारा 308/304/323/504/506/34 भादवि बनाम सुरेशचन्द्र उपरोक्त आदि पंजीकृत किया गया ।



कार्यवाही का विवरण –

पुलिस अधीक्षक, बिजनौर द्वारा जनपद में अपराध की रोकथाम व वांछित अभियुक्तगण की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 16.09.2023 को थाना चांदपुर पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 660/2023 धारा 323/504/506/308/304/34 भादवि में वांछित अभियुक्त कमल सिंह पुत्र मेहर सिंह ग्राम बाडीवाला थाना चांदपुर जनपद बिजनौर को गिरफ्तार किया गया । विधिक कार्यवाही प्रचलित है ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

कमल सिंह पुत्र मेहर निवासी ग्राम बाडीवाला थाना चांदपुर जनपद बिजनौर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –

- 1.उ0नि0 श्री देवी प्रसाद गौतम थाना चांदपुर जनपद बिजनौर
- 2.उ0नि0 इंदेश कुमार थाना चांदपुर जनपद बिजनौर
- 3.आरक्षी 1879 हिमांशु भडाना थाना चांदपुर जनपद बिजनौर